

13/9/2022

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु.  
उभयपक्षों को विधिवत रूप से आवाजे  
लगावाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं  
ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारिज किया जाना  
उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों  
की अनुपस्थिति में पत्रावली अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर दायर नम्बर से  
कम होकर शा. दफ्तर है।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
झीरगढ (राज.)

